127

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर रीवा,

(सर्किट कोर्ट) रीवा (म.प्र.)

RS.30

शिव प्रसाद पिता बद्री प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम रिमार तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.)

R5223/17

.....आवेदक

बनाम

रजनू पिता लखीराम पनिका निवासी ग्राम रिमार तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.)

.....अनावेदक

अधिवक्ता श्रीमती सोनी
द्वारा पेश। 29.5.17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर शहडोल के प्रकरण क.–243/निग. रानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017
अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

1– यह कि गनेशिया बेवा रामचरण पनिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जयसिंगनगर जिला शहडोल के न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा आदिवासी की भूमि का अवैधानिक पट्टा बनवा लिया गया है उसे निरस्त किया जाय।

उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में उक्त प्रकरण के विचाराधीन काल में गनेशिया लावल्द फौत हो गई जिस कारण अनावेदक द्वारा अपने को गनेशिया का फर्जी व कूट रचित वसीयतनामा के आधार पर वारिस बता कर आदेश 22 नियम 3, सहपठित आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5223–दो/2017 निगरानी जिला शहडौल

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी अपर कलेक्टर शहडौल व्दारा प्रकरण क्रमांक 243/2011–12 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–3–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 11 अ–74/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 29–7–2009 के विरूद्व अनावेदक ने अपर कलेक्टर शहडौल के समक्ष निगरानी क्रमांक 243/11–12 प्रस्तुत की है एंव निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने वावत् अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन भी दिया है। अपर कलेक्टर शहडौल ने अंतरिम आदेश दिनांक 30–3–17 से निगरानी प्रस्तुत करने में हुये 4 माह 5 दिन के विलम्ब को इस आधार पर क्षमा किया है एंव आदेश दिनांक 30–3–17 में विवेचना की है कि अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 29–7–2009 की आदेश पत्रिका पर आवेदक एंव ~~उनके~~ अभिभाषक के टीप के हस्ताक्षर नहीं है एंव अधीनस्थ न्यायालय के व्दारा अपने आदेश में उभय पक्ष अधिवक्ता को आदेश सूचित किये जाने हेतु आदेशित किया गया था लेकिन प्रकरण में ऐसी कोई सूचना	

जारी नहीं की गई, जिससे यह सिद्व होता कि आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित आदेश की जानकारी दिनांकित नहीं थी। न्यायदान के लिये विलम्ब क्षमा करते समय उदार–रख अपनाया जाना लाजमी है। विद्वान अपर कलेक्टर ने इसी उद्वेश्य को ध्यान में रखकर मात्र 4 माह 5 दिन के विलम्ब को क्षमा किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 243/2011–12 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–3–17 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य